राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 1322 / SEIAA/2022
Date: 4/8/22

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल (म.प्र) – 462016

विषयः प्रकरण क्र 9268/2022 परियोजना प्रस्तावक सुश्री प्रज्ञा नायक, निवासी ग्राम गदौली, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 1043, ग्राम मोरझरी, तहसील थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 739वीं बैठक दिनांक 29.07.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है।

"..........प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सिया के पत्र कमांक 732 दिनांक 08/6/22 द्वारा झाबुआ जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोडकर) अनुमोदित की गई है किंतु जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नही है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

चूंकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट SEAC की अनुशंसा पर SEIAA द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिये वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किये गये है, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरण स्वीकृति हेतु SEIAA को अनुशंसित किये जाना उचित होगा। पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर SEIAA एवं SEAC को सूचित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण पुनः SEAC को प्रेषित करते हुए संबंधित जिला खनिज अधिकारी एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण SEAC से पुनः परिक्षण हेतु प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1323 /SEIAA/2022 दिनांक – 4/8/22

प्रतिलिपिः–

1. जिला खनिज अधिकरी, झाबुआ (म.प्र.) ।
2. सुश्री प्रज्ञा नायक, निवासी ग्राम गदौली, तहसील मेघनगर, जिल झाबुआ (म.प्र.)।

सदस्य सचिव